भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित** प्रश्नल संख्या1997

जिसका उत्तार शुक्रवार , 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

## घरेलू यूरिया उत्पा दकों के लिए नियत घटक

**1997. श्री परषोतपमभाई रुपाला:**

क्याू रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू यूरिया उत्पा दकों के लिए नियत घटक को पिछली बार कब संशोधित किया गया था

(ख) क्याू सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीकय केमिकल्सो एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड , नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और कृभको तथा सहकारी यूरिया उत्पादकों के लिए 2014 में यथाघोषित 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की नीति के कार्यान्वरयन हेतु नियत घटक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया था;

(ग) यदि हां , तो समिति की सिफारिशों और उनके कार्यान्वकयन की स्थिति का ब्यौ‍ेरा क्या है; और

(घ) इस मामले में व्याय विभाग के साथ हुए पत्राचार का ब्यौवरा क्याथ है?

**उत्त र**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

---

**(क):** यूरिया इकाइयों के लिए नियत लागत घटक को पिछली बार 08.03.2007 को अधिसूचित की गई नई मूल्य निर्धारण स्कीमम।। के अंतर्गत 2002-03 के लागत आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया गया था। तत्पश्चात्, उर्वरक विभाग ने मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए 2 अप्रैल, 2014 को संशोधित एनपीएस-।।। जारी की जिसमें सभी इकाइयों के लिए 350 रु/मी.टन की अतिरिक्त नियत लागत के भुगतान; 30 वर्ष पूरे कर चुके और गैस में परिवर्तित यूरिया संयंत्रों को 150 रुपये/मीट्रिक टन का विशेष मुआवजा ; और 2300 रुपये/मीट्रिक टन की न्यूनतम निर्धारित लागत या 2012-13 के दौरान प्रचलित वास्तविक निर्धारित लागत, जो भी कम हो, शामिल है।

तथापि, दिनांक 30.03.2020 की अधिसूचना के माध्यम से, संशोधित एनपीएस-।।। से 2300 रुपये/एमटी की न्यूनतम नियत लागत के प्रावधान को हटा दिया गया था , जबकि संशोधित एनपीएस-।।। के शेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

**(ख) से (घ):** व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की टिप्पणी के अनुसार कि यूरिया इकाइयों की लागत से संबंधित मुद्दों की जांच और सिफारिश के लिए वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार (लागत) को भेजा जा सकता है, उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से अनुरोध किया था कि मुख्य सलाहकार (लागत) पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 2 अप्रैल 2014 से संशोधित एनपीएस-III के तहत 2300 रुपये/मीट्रिक टन की न्यूनतम निर्धारित लागत के प्रावधानों को बहाल करने की जांच करें और सिफारिश दें। मामले की जांच की जा रही है।

*******